अध्यक्षीय सम्बोधन

सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया है, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । इस अवसर पर विशेष रूप से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष, बिहार विधान सभा बनाए जाने पर अपनी सहमति दी और मुझे आसन पर बिठाया। मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी अध्यक्ष, बिहार विधान सभा चुने जाने में मेरा समर्थन किया और मुझे इस आसन पर बिठाया ।

मैं सभी दलों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ । जिन्होने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र सामूहिक न्याय निर्णय की एक पद्धति है । विधान सभा या अन्य विधायी निकाय उस पद्धति के नियामक हैं ।

संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष, विधान सभा इस संस्था के स्वामी नहीं होते हैं बल्कि वे सदस्यों के संरक्षक होते हैं । विधान सभा का पूरा कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सम्पन्न की जाती है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत 21 दिसम्बर, 1965 को इसी विधान सभा के द्वारा यह नियमावली एडॉप्ट की गई थी और 01 जनवरी, 1966 से यह लागू है । कालक्रम में इस नियमावली में कई संशोधन हुए और आज संविधान के दायरे में इसी नियमावली के आधार पर अध्यक्ष इस आसन पर बैठकर सभा का संचालन करते हैं । यह नियमावली हमारे लिए गीता के समान है।

आप जानते ही है कि मुझे या इस आसन पर बैठने वाले किसी भी सदस्य को इस नियमावली के अनुकूल ही अपने को सीमित रखना अनिवार्य होता है । हम सब लोग किसी-न-किसी दल से जुड़े हैं । मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ । मैं 1995 से इस सदन का सदस्य हूँ । मैं सातवीं बार इस सभा का सदस्य बना हूँ । हर राजनैतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और जनता के हितों को साधने का एक उपक्रम होता है । परन्तु अध्यक्ष के आसन पर बैठा व्यक्ति दल से या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्पक्षता और निष्ठा से सदन के संचालन के कार्यों का निष्पादन करता है । मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी नियमावली के तहत कार्य करूँगा एवं संसदीय परम्पराओं का निर्वहन भी करूँगा । साथ ही माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी मान-मर्यादा का भी ध्यान रखूँगा ।

आप सब लोगों ने 12 फरवरी, 2024 को जिस धैर्य और संयम से बिहार विधान सभा की कार्यवाही को सम्पन्न किया, यह पूरे देश में एक मिसाल है । सदन में विषय भी आते हैं, उतेजना भी होती है, पक्ष और विपक्ष के दावे और प्रतिदावे होते हैं परन्तु उनका हल भी विमर्श से ही निपटाया जाता है । आसन का तो यह काम ही है कि वह अभिव्यक्ति के सारे दरवाजे खोले । मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, सभी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं,

उनकी आवाज ही सदन में उठाते हैं । राजनैतिक दल की विचारधारा के साथ माननीय सदस्यों को क्षेत्र के भी कई हितें जुड़े होते हैं जिनकी वे नुमाइन्दगी करते हैं । ऐसे सभी मसलों का इस सदन में उठाने का, उनपर विमर्श करने और सरकार से उसका हल जानने का अधिकार आप सभी माननीय सदस्यों को है। लेकिन उन सभी मसलों को सदन के समक्ष कैसे लाया जाए, इसके लिए जो विधान है वह हमारी नियमावली में अंकित है। इसमें अंकित नियम के माध्यम से आप अपनी बात सदन के समक्ष रखेंगे तो सरकार विवश होगी आपके उन सवालों का उत्तर देने के लिए । इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि सदन में आप हमेशा नियमावली के तहत ही अपनी बात को उठाएं । एक बात मैं जरूर कहूँगा कि सड़क का संघर्ष और सदन का विमर्श दोनों अलग-अलग चीज है । आपको अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश, अपने लोगों, उनके साथ होने वाले अन्याय इन सभी मुद्दों को उठाने का और उनका हल निकालने का उपक्रम करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं सरकार का मंत्री भी रहा हूँ, मैं नेता विरोधी दल भी रहा हूँ, मैं एक माननीय सदस्य के रूप में भी रहा हूँ। बिहार विधान सभा के समितियों का सभापति भी रहा हूँ। मैं लोक-लेखा समिति प्राक्कलन समिति, निवेदन समिति आदि का सभापति रहा हूँ।

मुझे यह हमेशा लगा कि मुझे या हम सबों को ज्यादा-से-ज्यादा अध्ययन करना चाहिए । अध्ययन का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ना चाहिए । अध्ययन का अर्थ यह है कि सब को उन समस्याओं एवं उनके निवारण के लिए सरकार की नीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए । उन नीतियों के अनुपालन में जो अवरोध हैं, उस अवरोध को कैसे नियम और कानून से दूर किया जाए, इसके लिए कैसे नये कानून बनाया जाए, कैसे नये नियम बनाए जाएं, इसका अध्ययन किया जाए तभी हम जनता के हितों को अधिक-से-अधिक साध सकते हैं ।

इस आसन की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वो है तटस्थता, वह है निष्पक्षता। मैं अंतिम प्रयास करूँगा कि इसका अनुपालन करूँ । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पक्ष हो या विपक्ष किसी को शिकायत का मौका नहीं दूँगा ।

यह मेरे लिए तो गर्व का क्षण है ही परन्तु साथ ही यह न्यायपूर्ण सेवा की चुनौती भी है । इस आसन का पदनाम स्पीकर भले ही हो लेकिन इसे, वाद-विवाद में बोलना नहीं है । फिर भी मैं प्रयास करूँगा की मैं आपकी आवाज बनूं ।

यह सदन इस बात का गवाह है कि विमर्श के दौरान कभी तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई तो कभी शेरों-शायरी और हंसी-मजाक का भी दौर चला ।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चले, यह हम सब की जिम्मेवारी है ।

दो पंक्तियाँ कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा

कल, न हम होंगे , न गिला होगा,
सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा,
जो लम्हे है, चलो हंसकर बीता लें
जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा

आप सबों का पुनः हार्दिक आभार

भारत माता की जय

,,,,,